

अंगन अफिकारी का कार्यालय, बाणगाव
 मागी अमितेव सं० ३५ / १८-१९

५९

आवेदक रवि कुमार राऊत

पिता - शम्भू राऊत

साठ - फुलावीयंड

जिला - धनबाद

आदेश

आवेदक रवि कुमार राऊत पिता, शम्भू राऊत साठ फुलावीयंड जिला धनबाद के साथ मौजा फुलावीयंड धान नं० ३१० काता ५१ प्लॉट नं० ७५९ काता ०-०१/२० एवं प्लॉट नं० ७५० काता ५१/२० कुल रकवा ५२/२० भूमि माफी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदक पर हल्का कर्मचारी का कांय प्रतिवेदन अंगन निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है, प्रतिवेदन किया गया है कि मौजा फुलावीयंड धान ३१० काता ५१ प्लॉट नं० ७५९ काता ०-०१/२० प्लॉट नं० ७५० काता ५१/२० कुल रकवा ५२/२० भूमि मात सर्वे खसियान के अनुसार रयती खाते में भूमि है। जमाबंदी सं० ७९२ में आवेदक के पिता के नाम से लगान वसूल होती है। वर्ष २०१५-१६ तक लगान एकीक निर्गत है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंगन निरीक्षक के कांय प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक से एक दिन का माफी मुक्त जागा करने के पश्चात अंगन अमीन के अतिनीपुत्र को

अंगन अफिकारी
बाणगाव

अमितेव उपस्थापित किया गया। आवेदक रवि कुमार राऊत पिता शम्भू राऊत साठ फुलावीयंड जे MR NO 128296 दिनांक ३/११/१८ के द्वारा माफी मुक्त जागा किया गया है।

अंगन अफिकारी
बाणगाव
27/02/19

अमितेव उपस्थापित किया गया। अंगन अमीन के प्रतिवेदन किया गया है कि मौजा फुलावीयंड धान ३१० काता ५१ प्लॉट नं० ७५९, ७५० रकवा ५२/२०, भूमि माफी हेतु दिनांक ०९/११/१९ को किया माफी के समय

आवेकक प्रति कुमा रतक पिता स्वयं शास्त्र रतक को लाल में पड़यंक
 से संपर्क का आगता जानों को देना आगता देकरने लेपता चला कि
 दलील से 5195 दिनांक 16.4.82 के द्वारा उक्त जौना के लाल न० 4।
 लॉट न० 249 लका 0। 10, एवं लॉट न० 750 लका 4। 10, कुम रतक
 4210, अति शास्त्र रतक (5) रतक रतक पिता गृह भूषण रतक एवं
 कुसापिण्ड के नाम इस विना गया है। आसीनों नक्ला से सोरो को सर्वेक्षण
 करते हुए उक्त 4210 की-0 अति भागी कर भागद जगद पा निशाना
 लागवा किया गया है। भागी शुल्क के लक्ष्य चॉट्टीना भी उपलित के भागी
 आसीनलोग एवं मयुक्त वाता की उपलिति है किया गया।

अतः इस अभिलेख की सर्वकारी स्थापना की जाती है।

13/03/19
 अंचल अभिगयी
 कार्यालय